भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 317
सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

रोजगार प्राप्त करने के बाद उद्यमी

317. **श्रीमती केशरी देवी पटेल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में रोजगार प्राप्त करने के बाद उद्यमी बन स्वरोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसे युवाओं को अब तक कुल कितने करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण संवितरित किया गया है; और
(ग) वे विभिन्न क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित स्व-रोजगार कामगार अनुपात **अनुबंध-I** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, कोई भी व्यक्ति जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, वह योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता और उसे 10 लाख रूपए तक का जमानत मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में आय सृजन गतिविधियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए तीन श्रेणियों के तहत ऋण लिया जा सकता है जो इस प्रकार है- शिशु (50,000 रुपये तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण) और तरूण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण)।

पीएमएमवाई के तहत, इसकी शुरूआत से लेकर दिनांक 24.11.2023 तक, उधारकर्ताओं को 25.47 लाख करोड़ रुपए की राशि से 44.46 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। इसके साथ-साथ, इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों और वितरित राशि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

सरकार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न कदम उठा रही है, इस पहल को, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार, स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए, दिनांक 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था।

स्टैंड अप इंडिया (एसयूपीआई) को दिनांक 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। इसके लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अजा/अजजा उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

पीएम स्वनिधि को दिनांक 1 जून, 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को तीन किश्तों में जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, अर्थात् पहली किश्त में 10,000 रुपये, दूसरी किश्त में 20,000 रुपये तक और तीसरी किश्त में 50,000 रुपये तक।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय (एमएसएमई), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पीएम विश्वकर्मा को 17 सितंबर, 2023 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य, कौशल प्रशिक्षण, जमानत-मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार जुड़ाव समर्थन और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन तक पहुंच के माध्यम से 18 पहचाने गए व्यवसायों में लगे पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को अंत तक समग्र समर्थन प्रदान करना है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 05.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2021-22 से वर्ष **2022-23 के दौरान** सामान्य स्थिति के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित स्व-रोज़गार कामगार (% में)।

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	43.4	45.5
2	अरुणाचल प्रदेश	71.9	74.3
3	असम	61.2	57.2
4	बिहार	59	63.9
5	छत्तीसगढ	66.8	67.3
6	दिल्ली	31.1	34.6
7	गोवा	37.1	35.1
8	गुजरात	54.5	53.2
9	हरियाणा	44.6	45.3
10	हिमाचल प्रदेश	69.1	71.8
11	झारखंड	66.3	69.9
12	कर्नाटक	48.1	48.5
13	केरल	38.3	39.7
14	मध्य प्रदेश	63.4	63.8
15	महाराष्ट्र	45.7	47.9
16	मणिपुर	64.3	69.9
17	मेघालय	47.7	48
18	मिजोरम	68.8	69.1
19	नागालैंड	63.5	67
20	ओडिशा	60.1	64.3
21	पंजाब	44.3	45.1
22	राजस्थान	68.9	69.8
23	सिक्किम	55.2	61.9
24	तमिलनाडु	36.8	35.7
25	तेलंगाना	63.9	60.1
26	त्रिपुरा	52	56.7
27	उत्तराखंड	59.8	66.4
28	उत्तर प्रदेश	70.9	71.2
29	पश्चिम बंगाल	49.9	54.6
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	42.5	44.1
31	चंडीगढ़	26.7	20.6
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	23.1	33.7
33	जम्मू एवं कश्मीर	62.4	68.3
34	लद्दाख	55.4	66.9
35	लक्षद्वीप	23.4	37.2
36	पुदुचेरी	34.7	29.7
37	अखिल भारत	55.8	57.3

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 05.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 317 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार और वर्ष-वार विवरण (24.11.2023 तक)

(राशि करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष	वि.व. 2021-22			वि.व. . 2022-23			वि.व. 2023-24 (24.11.2023 कर)		
क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,901	77.40	76.53	3,463	127.29	124.34	1,863	71.69	69.82
2	आंध्र प्रदेश	11,17,922	11,829.82	11,445.42	13,48,593	16,450.70	16,212.30	8,77,921	11,120.98	10,898.90
3	अरुणाचल प्रदेश	5,705	90.50	86.51	17,193	224.78	214.59	17,070	186.56	180.14
4	असम	6,82,889	4,866.50	4,577.28	5,99,213	6,300.99	6,182.19	1,91,868	2,360.63	2,268.69
5	बिहार	66,78,155	32,096.95	30,725.07	84,89,231	46,463.15	45,448.59	41,47,624	24,436.54	23,270.68
6	चंडीगढ़	14,926	281.66	273.03	17,261	301.41	293.58	8,659	180.19	173.25
7	छत्तीसगढ	9,70,396	5,929.49	5,797.46	11,14,927	8,391.61	8,262.57	4,90,278	4,370.81	4,101.57
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4,397	70.37	68.25	5,512	103.89	102.21	1,431	47.38	46.73
9	दिल्ली	1,94,835	2,616.58	2,559.59	3,37,476	3,800.63	3,759.22	1,67,717	2,334.36	2,263.22
10	गोवा	35,950	491.36	472.87	42,745	719.27	700.19	23,943	445.90	430.94
11	गुजरात	15,90,960	12,152.39	11,990.04	17,84,437	17,668.10	17,507.49	9,77,786	10,302.51	10,126.93
12	हरियाणा	10,57,963	7,768.34	7,574.18	12,18,808	10,154.93	9,944.79	5,56,711	5,689.67	5,442.62
13	हिमाचल प्रदेश	1,07,556	2,152.58	2,027.43	1,51,733	3,133.01	3,080.21	73,550	1,596.91	1,492.95
14	झारखंड	17,77,882	8,817.00	8,615.43	20,56,159	11,266.17	11,097.08	11,31,935	6,674.13	6,506.88
15	कर्नाटक	42,98,481	28,695.29	28,374.92	55,92,066	40,964.95	40,746.09	33,80,637	25,375.92	25,244.95
16	केरल	16,20,168	11,698.12	11,549.58	17,81,474	15,400.47	15,079.22	10,52,430	9,475.90	9,338.90
17	लक्षद्वीप	725	16.66	16.47	1,623	26.81	26.75	1,369	22.83	22.69
18	मध्य प्रदेश	32,31,804	18,814.95	18,218.44	37,01,661	25,301.30	24,632.59	17,68,797	13,317.86	12,435.84
19	महाराष्ट्र	41,58,052	25,797.74	25,416.48	52,53,324	36,531.98	36,104.52	29,14,993	22,696.41	22,402.83
20	मणिपुर	74,138	413.42	379.20	39,744	487.23	471.22	6,614	112.08	104.53
21	मेघालय	16,892	211.84	204.01	24,937	340.62	331.52	14,322	210.18	203.91
22	मिजोरम	11,396	211.29	192.30	23,394	424.40	420.92	16,555	336.70	333.11
23	नागालैंड	15,191	229.00	209.49	15,172	314.62	296.78	10,424	222.87	216.79
24	ओडिशा	36,70,907	16,900.00	16,557.27	39,22,511	21,708.62	21,505.13	19,59,871	11,621.76	11,461.57
25	पुडुचेरी	1,31,525	801.43	795.30	98,394	741.23	735.74	78,104	589.45	586.36
26	पंजाब	11,09,810	8,179.96	7,926.06	12,59,891	11,055.03	10,766.37	5,76,501	6,383.52	5,861.67
27	राजस्थान	26,67,998	18,999.20	18,728.94	29,77,440	24,686.97	24,492.62	13,93,347	13,791.47	13,626.31
28	सिक्किम	11,059	162.54	156.89	13,805	225.77	219.30	8,509	112.22	106.02
29	तमिलनाडु	56,25,146	32,477.55	32,262.94	64,06,513	43,948.08	43,730.39	40,88,433	30,703.48	30,529.48
30	तेलंगाना	5,33,545	6,168.85	6,010.47	6,39,323	8,134.81	7,995.30	4,26,660	5,488.43	5,315.61
31	त्रिपुरा	3,57,304	2,496.63	2,445.73	3,50,659	2,363.45	2,349.61	95,155	700.97	673.21
32	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	2,62,645	5,788.31	5,696.54	3,30,963	7,317.51	7,219.71	1,71,311	4,124.22	3,665.49
33	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	8,176	233.79	231.55	9,988	288.30	285.87	5,231	159.73	154.48
34	उत्तर प्रदेश	57,87,982	33,663.73	32,850.80	68,08,721	48,194.90	47,427.26	38,93,278	29,770.90	28,978.01
35	उत्तराखंड	3,33,914	3,015.89	2,939.91	4,45,328	4,369.82	4,303.54	2,23,433	2,528.94	2,468.34
36	पश्चिम बंगाल	56,27,231	34,893.20	33,949.81	54,26,916	38,605.21	38,353.85	21,98,960	16,437.00	16,224.12
	अखिल भारत	**5,37,95,526**	**3,39,110.33**	**3,31,402.19**	**6,23,10,598**	**4,56,538.01**	**4,50,423.65**	**3,29,53,290**	**2,64,001.10**	**2,57,227.54**

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार